



कार्यालय नगर निगम, जयपुर  
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, दिसम्बर 2013  
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट  
मोतीडूंगरी जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	MDZ-01	16' X 8'	टोक रोड, अजमेरी गेट, एमजीडी स्कूल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।	
2.	MDZ-02	16' X 8'	टोक रोड, अशोक मार्ग, स्लिप लाईन पर एमजीडी स्कूल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
3.	MDZ-03	16' X 8'	टोक रोड, अशोक मार्ग, तिराहा एमजीडी स्कूल की दीवार के पास बने स्लिप लाईन पर साईट सं. MDZ-2 से 60 फुट दूर अशोक मार्ग की ओर दीवार के समानांतर।	
4.	MDZ-04	16' X 8'	टोक रोड, उपरोक्त के सामने स्लिप लाईन पर महारानी कॉलेज की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
5.	MDZ-05	16' X 8'	टोक रोड, महारानी कॉलेज की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर, स्लिप लाईन पर वि.प.नं. 2	
6.	MDZ-06	16' X 8'	अशोक मार्ग, जय क्लब की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर चौराहा देखते हुए।	
7.	MDZ-10	16' X 8'	टोक रोड, सूचना केन्द्र के सामने आरोग्य मार्ग के उत्तरी कोने पर फुटपाथ पर समानांतर।	
8.	MDZ-14	16' X 8'	टोक रोड नारायण सिंह तिराहा, तोतुका भवन की दीवार के पास फुटपाथ पर अजमेरी गेट की ओर से समानांतर वि.प.नं.1	
9.	MDZ-18	16' X 8'	टोक रोड नारायणसिंह चौराहा तोतुका भवन की दीवार के पास फुटपाथ पर साईट सं. MDZ-14 के पास उत्तरी ओर	
10.	MDZ-41	16' X 8'	शांति पथ, तिलक नगर बिडला मंदिर के पीछे सर्किल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
11.	MDZ-42	16' X 8'	शांति पथ तिलक नगर बिडला मंदिर के पीछे सर्किल पर यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे फुटपाथ पर वि.प.नं. 2	
12.	MDZ-47	16' X 8'	मोतीडूंगरी रोड, धर्मसिंह सर्किल पर दक्षिणी-पूर्वी कोने पर फुटपाथ पर दीवार के सहारे गोविन्द मार्ग की ओर से समानांतर वि.प.नं. 1	
13.	MDZ-54	16' X 8'	गोविन्द मार्ग, पागल खाने की दीवार के पास।	
14.	MDZ-55	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग त्रिमूर्ति सर्किल, मूक बंधिर स्कूल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।	
15.	MDZ-56	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, गांधी सर्किल यूनिवर्सिटी की दीवार के समानांतर महात्मा गांधी रोड की ओर फुटपाथ पर।	
16.	MDZ-57	30' X 15'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस चौराहे के पास पश्चिमी दक्षिणी कोने पर।	
17.	MDZ-59	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले एम.एन.आई.टी. की कम्पाउण्ड की दीवार के समानांतर मालवीय नगर की ओर से वि.प.नं.1 ।	
18.	MDZ-68	16' X 8'	टोक रोड रिजर्व बैंक के पास तख्ते शाही रोड के उत्तरी कोने पर ।	
19.	MDZ-70	30' X 15'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग गहावीर उद्यान की दीवार के पास।	
20.	MDZ-73	16' X 8'	हिम्मत नगर आर.ओ.बी. (भास्कर के पास) से गांधी नगर स्टेशन रोड पर सरस पार्लर के सामने रेल्वे दीवार के पास फुटपाथ पर।	NEW
21.	MDZ-75	30' X 15'	बजाज नगर एनक्लेव स्कीम के सामने रेल्वे क्वार्टर के बाहर रेल्वे दीवार के पास सरस डेयरी देखते हुए।	NEW

*(Handwritten signature)*



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

## यूनिपोल नीलामी सूची, दिसम्बर 2013

### साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

### विद्याधर नगर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	VDZ-03	16' X 8'	झोटवाड़ा रोड, पीतल फैक्ट्री के सामने मंदिर के पास पूर्व की ओर।	
2.	VDZ-10	16' X 8'	बनीपार्क, माधोसिंह सर्किल पर पूर्वी उत्तरी कोने पर सर्किल देखते हुए।	
3.	VDZ-14	16' X 8'	विद्याधर नगर निर्माण विहार सै. 3 के आगे सिने स्टार चौराहे के पास दक्षिणी-पश्चिमी ओर	
4.	VDZ-15	16' X 8'	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयंती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
5.	VDZ-16	16' X 8'	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयंती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.नं. 3	
6.	VDZ-18	16' X 8'	विद्याधर नगर, निर्माण विहार, सैक्टर-3 के आगे सिनेस्टार चौराहे के पास फुटपाथ पर समानांतर	
7.	VDZ-19	16' X 8'	विद्याधर नगर, निर्माण विहार, सैक्टर-3 के आगे सिले स्टार चौराहे के पास साईट संख्या VDZ. 18 के उत्तरी ओर	
8.	VDZ-22	16' X 8'	विद्याधर नगर, माहेश्वरी स्कूल के पास गणपति टॉवर के तिराहे पर ही उत्तर पूर्व पर बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानांतर वि.प.नं. 2	
9.	VDZ-26	16' X 8'	विद्याधर नगर, नया खेडा के पास खण्डेलवाल टावर्स के पास चौराहे पर अग्रवाल कैटर्स के पास दक्षिणी-पूर्वी कोने पर।	
10.	VDZ-27	16' X 8'	अम्बाबाड़ी सर्किल पर उत्तरी पूर्वी कोने पर।	
11.	VDZ-37	16' X 8'	विद्याधर नगर, सर्किल सै. 5 पर उत्तरी पूर्वी कोने पर सै. 6 में बने प्लेट्स की दीवार के पास।	
12.	VDZ-39	16' X 8'	विद्याधर नगर, पुराने विद्याधर सर्किल पर पश्चिमी उत्तरी कोने पर।	
13.	VDZ-40	16' X 8'	पानीपेच तिराहे पर बस्सी सीतारामपुरा कच्ची बस्ती के पास झोटवाड़ा देखते हुए।	
14.	VDZ-43	16' X 8'	कलेक्टरी सर्किल, होटल जयपुर अशोक की दीवार के समानान्तर शिव मार्ग की ओर।	
15.	VDZ-47	16' X 8'	झोटवाड़ा रोड, चांदपोल श्मशान घाट गेट के पास बने हाजरीगाह की दीवार के पास चांदपोल देखते हुए।	NEW
16.	VDZ-50	30' X 15'	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल से आगे फन सिनेमा जाने वाले तिराहे के टी-पोर्ट पर फुटपाथ पर फन सिनेमा देखते हुए।	NEW
17.	VDZ-56	30' X 15'	पनीपेच तिराहा, झोटवाड़ा रोड, अकादमी हाउस की दीवार के पास।	
18.	VDZ-57	30' X 15'	विद्याधर नगर स्वर्ण जयंती पार्क के पास बने सुलभ शौचालय की दीवार के समानान्तर कांठिया सर्किल देखते हुए।	NEW
19.	VDZ-58	30' X 15'	चिंकारा कैन्टीन के सामने साईट संख्या VDZ-45 के पास चिंकारा कैन्टीन की ओर सर्किल देखते हुए।	NEW



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, दिसम्बर 2013

साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

सिविल लाईन जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण
1.	CLZ - 12	16' X 8'	सहकार मार्ग, तेल भवन की दीवार के पास सहकार भवन देखते हुए।
2.	CLZ-20	16' X 8'	सरदार पटेल मार्ग गवर्नमेन्ट प्रेस सर्किल पर लक्ष्मी पथ मोड पर चौमू हाउस सर्किल की ओर से दीवार के समानांतर वि.प.नं. 1
3.	CLZ-38	16' X 8'	सरदार पटेल मार्ग, गवर्नमेन्ट प्रेस सर्किल प्रेस की दीवार के सहारे फुटपाथ पर मालवीय मार्ग की ओर रो रागान्तर वि.प.नं. 2
4.	CLZ - 41	16' X 8'	सरदार पटेल मार्ग, गवर्नमेन्ट प्रेस सर्किल, एम.ई.एस. की दीवार के सहारे फुटपाथ पर समानांतर।
5.	CLZ - 52	16' X 8'	सिरसी रोड, आम्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आम्रपाली सर्किल रोड देखते हुए सिरसी रोड तिराहे की ओर वि.प.नं. 3
6.	CLZ - 60	16' X 8'	वैशाली नगर, क्वींस रोड, आम्रपाली तिराहे पर मिलेक्ट्री की दीवार के सहारे।
7.	CLZ-61	16' X 8'	वैशाली नगर, क्वींस रोड, प्रिंस मार्ग के सामने मिलेक्ट्री की दीवार के सहारे।
8.	CLZ - 63	16' X 8'	गीजगढ़ हाउस, हवा सड़क।
9.	CLZ - 64	16' X 8'	हवा सड़क, गीजगढ़ हाउस के सामने सोडाला देखते हुए।
10.	CLZ - 86	16' X 8'	अशोक मार्ग, सी-स्कीम, अहिंसा सर्किल पर मेलबोर्न हाउस के गेट के पास फुटपाथ पर सुभाष मार्ग की ओर से समानांतर वि.प.नं. 1
11.	CLZ - 91	16' X 8'	संसार चन्द्र रोड होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की दीवार के समानांतर।
12.	CLZ - 94	16' X 8'	क्विन्स रोड, झारखण्ड महादेव तिराहा, पेट्रोल पम्प के सामने मिलट्री दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।
13.	CLZ - 96	16' X 8'	जमना लाल बजाज मार्ग, सिविल लाईन फाटक दक्षिणी ओर फुटपाथ पर जय गुरुदेव पान भण्डार के पास राजमहल होटल देखते हुए वि. प.नं. 1
14.	CLZ-104	30' X 15'	अजमेर रोड, अमानीशाह के नाले के आगे सोडानी स्वीट्स के सामने अजमेर देखते हुए।
15.	CLZ-105	30' X 15'	उपरोक्त के पास ही वी शैप में जयपुर देखते हुये।
16.	CLZ-106	30' X 15'	सरदार पटेल मार्ग राजमहल होटल के गेट के पश्चिम की ओर सिविल लाईन फाटक की ओर फुटपाथ पर होटल की दीवार के समानांतर।

2/8  
A-



कार्यालय नगर निगम, जयपुर  
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, दिसम्बर 2013  
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट  
मानसरोवर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	MSZ-03	16' X 8'	गोपालपुरा बाईपास, न्यू आतिश मार्केट के पश्चिमी कोने पर गुर्जर की थडी देखते हुए।	
2.	MSZ-08	16' X 8'	मानसरोवर, वीर तेजाजी चौराहे पर ही दक्षिण पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुए।	
3.	MSZ-12	16' X 8'	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पश्चिमी दक्षिणी कोने पर दुर्गापुरा देखते हुए।	
4.	MSZ-13	16' X 8'	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पूर्वी उत्तरी कोने पर बाउण्ड्रीवाल के सहारे समानांतर मानसरोवर देखते वि.प.नं. 2	
5.	MSZ-17	16' X 8'	गोपालपुरा बाईपास रोड़, गोपालपुरा स्कूल की दीवार के पास, गोपालपुरा ROB देखते हुये।	
6.	MSZ-25	16' X 8'	गोपालपुरा बाईपास रोड़, न्यू आतिश मार्केट के गेट के पहले पुलिया के पास फुटपाथ पर गुर्जर की थडी देखते हुये।	
7.	MSZ-46	30' X 15'	जवाहरलाल नेहरू मार्ग, वर्ड ट्रेड सेंटर के सामने नाले के पुलिया के पास फुटपाथ पर समानान्तर वर्ड ट्रेड सेंटर देखते हुये।	
7.	MSZ-47	30' X 15'	गोपालपुरा ROB के पास ROB के दक्षिणी ओर रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास, बजरी मण्डी।	
8.	MSZ-48	30' X 15'	गोपालपुरा ROB के पास ROB के उत्तरी ओर रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास।	
9.	MSZ-50	30' X 15'	महारानी फार्म, गायत्री नगर जाने वाली रोड़ के सामने फुटपाथ पर।	NEW
10.	MSZ-52	30' X 15'	टोक रोड़, ई.पी. सिनेमा के सागने, प्रेग निकेतन अरपताल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	NEW
11.	MSZ-59	30' X 15'	आश्रम मार्ग जवाहर सर्किल आश्रम मार्ग के उत्तरी कोने पर फुटपाथ पर।	
12.	MSZ-60	30' X 15'	जवाहर सर्किल के पीछे ट्रमिनल 2 एयरपोर्ट रोड़ पर, जय गुरुदेव सत्संग स्थल जाने वाले मार्ग पर एयरपोर्ट देखता हुआ।	
13.	MSZ-61	30' X 15'	जवाहर सर्किल के पीछे ट्रमिनल 2 एयरपोर्ट रोड़ पर वेदबिहार कॉलोनी के सामने फार्म हाउस के पास एयरपोर्ट देखता हुआ।	
14.	MSZ-62	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग वर्ड ट्रेड सेंटर के पास बने नाले की पुलिया के पश्चिमी-दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर।	NEW
15.	MSZ-63	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग वर्ड ट्रेड सेंटर के पास बने नाले की पुलिया के पूर्वी-दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर।	NEW

22  
2



कार्यालय नगर निगम, जयपुर  
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, दिसम्बर 2013  
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

सांगानेर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	SNZ-40	16'X8'	टोंक रोड, हल्दीघाटी चौराहा से पहले पश्चिमी ओर, टोंक रोड देखते हुए।	
2.	SNZ-42	16' X 8'	टोंक रोड, सीतापुरा ईपीआईपी को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टोंक रोड की ओर से वि.प.नं. 1	
3.	SNZ-44	16' X 8'	टोंक रोड, सीतापुरा ईपीआईपी को जाने वाले रास्ते के दक्षिण कोने पर टोंक रोड की ओर से वि.प.नं. 1	
4.	SNZ -53	16' X 8'	टोंक रोड सांगानेर पुलिया के आगे नीरजा सरस पार्लर के सामने बने शिव मंदिर की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर पुलिया देखते हुए।	
5.	SNZ -54	16' X 8'	टोंक रोड, प्रताप नगर हल्दीघाटी मार्ग के चौराहे पर पूर्वी-दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर जयपुर देखता हुआ।	
6.	SNZ -57	30' X 15'	सांगानेर रोड, मानसरोवर ROB के पास ROB के पूर्वी ओर RIICO रेल्वे लाईन के पास बने प्लॉट नं. A-1 के पास	
7.	SNZ -58	30' X 15'	सांगानेर रोड, मानसरोवर ROB के पास ROB के पश्चिम ओर रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास	
8.	SNZ -59	30' X 15'	टोंक रोड सीतापुरा ROB के पास, पूर्व की ओर इण्डियन ऑयल गोदाम के बाहर सांगानेर देखता हुआ।	NEW
9.	SNZ -60	30' X 15'	टोंक रोड सीतापुरा ROB के पास, दक्षिणी-पूर्व की ओर खाली भूमि के पास टोंक रोड देखता हुआ।	NEW

राम  
९



कार्यालय नगर निगम, जयपुर  
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, दिसम्बर 2013  
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

आमेर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	AMZ-01	30' X 15'	आमेर रोड़, शहीद वनकर्मि उधान के सामने, पार्किंग के पास फुटपाथ पर	
2.	AMZ-02	16' X 8'	आमेर रोड़, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहीनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.नं. 3 ।	
3.	AMZ-03	16' X 8'	आमेर, होटल के.के. रॉयल डेज के पूर्वी गेट के सामने स्वर्ण जयंति रंगमंच की दीवार के पास कुण्डा देखते हुए।	
4.	AMZ-04	16' X 8'	आमेर रोड़, कुण्डा से पहले ज्योति क्लिनिक के पास पूर्व की ओर बने स्लीप लाईन के पास बाउण्ड्रीवाल की दीवार के समानांतर ।	
5.	AMZ-08	16' X 8'	आमेर रोड़, होटल होलीडे इन के सामने कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर आमेर देखते हुए ।	
6.	AMZ-09	16' X 8'	आमेर रोड़, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहीनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.नं. 1	
7.	AMZ-16	30' X 15'	जल महल AMZ-02 के पास नाले की दीवार के पास होटल दरबार के पास।	NEW
8.	AMZ-17 NEW HMZ(W)-10 OLD	16' X 8'	आमेर रोड़ कुण्डा ज्योति क्लिनिक के पास।	

हवामहल (पूर्व)

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	HMZ (E)-07	16'X8'	दिल्ली रोड बाईगास, बन्ध की घाटी के पहले जलमहल तिराहे पर दक्षिणी पश्चिमी कोने से उपरोक्त साईट के पास ही समानांतर जलमहल की ओर से वि.प.नं. 3	
2.	HMZ(E)-16	30'X15'	आगरा रोड़ कब्रिस्तान की दीवार के समानान्तर कब्रिस्तान गेट के पश्चिम की ओर, गोविन्द मार्ग देखते हुए।	
3.	HMZ(E)-18	30' X 15'	आगरा रोड़ कब्रिस्तान की दीवार के समानान्तर कब्रिस्तान गेट के पूर्व की ओर, गोविन्द मार्ग देखते हुए।	NEW

25  
8




कार्यालय नगर निगम जयपुर  
ट्राईएंग्यूलर साईनेज (रोड ऑयलैण्ड पर) की सूची  
नीलामी सूची, दिसम्बर 2013

क्र.सं.	स्थान का विवरण	
1	जे.एल.एन. मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर बिड़ला मंदिर ऑयलैण्ड पर।	
2.	जे.एल.एन. मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर दक्षिणी ओर बने ऑयलैण्ड पर।	
3.	जे.एल.एन. मार्ग, बजाज नगर जवाहर कला केन्द्र के पास बने आर्यलैण्ड पर।	
4.	टोंक रोड, अशोक मार्ग तिराहा, एम.जी.डी. स्कूल के पास बने ऑयलैण्ड पर।	
5.	टोंक रोड, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।	
6.	टोंक रोड, आश्रम मार्ग तिराहा दक्षिणी-पूर्वी ऑयलैण्ड पर।	
7.	टोंक रोड, ई.पी. चौराहा उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।	
8.	झोटवाडा रोड, पानीपेच तिराहा उत्तरी ओर बने ऑयलैण्ड पर।	
9.	शिप्रापथ एस.एफ.एस., वी-2 बाईपास, मानसरोवर के पूर्वी ओर बने ऑयलैण्ड पर।	
10.	अजमेर रोड, किंग्स रोड पर बने पश्चिमी ओर ऑयलैण्ड पर।	

am

9



कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर  
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

पुलियाओं पर गमले  
नीलामी सूची, दिसम्बर 2013

क्र.सं.	स्थान का विवरण	
1.	जगतपुरा ROB	
2.	सीतापुरा पुलिया ROB	
3.	मानसरोवर पुलिया ROB	
4.	टोंक फाटक पुलिया ROB	
5.	मालवीय नगर ROB	
6.	भास्कर पुलिया ROB	
7.	सांगानेर फलाईओवर	
8.	दुर्गापुरा ROB	
9.	गोपालपुरा बाईपास ROB	
10.	टोंक रोड़ गोपालपुरा मोड फलाईओवर	
11.	बाईस गोदाम पुलिया ROB	
12.	अजमेर रोड़ पुलिया ROB	
13.	खातीपुरा पुलिया ROB	
14.	हसनपुरा पुलिया ROB	

*Handwritten signature*



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

## पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : दिसम्बर 2013

1. निगम क्षेत्र में स्थित पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर विज्ञापन प्रदर्श एवं संधारण हेतु नीलामी जोन वाईज एक वर्ष के लिए की जावेगी जो लाईसेंस जारी किये जाने की दिनांक से मानी जावेगी। पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों की सूची निगम वेबसाईट: [www.jaipur.mc.org](http://www.jaipur.mc.org) की होर्डिंग साईट पर देखी जा सकती है।
2. नगर निगम जयपुर में स्थित पुलिस छतरियों एवं गुमटियों की जोन वाईज खुली नीलामी हेतु अमानत राशि निम्नानुसार होगी – सिविल लाईन जोन हेतु रु. 2 लाख, विद्याधर नगर जोन हेतु रु. 1.5 लाख, सागानेर जोन हेतु रु. 1 लाख, मानसरोवर जोन हेतु 2 लाख, हवामहल पूर्व जोन हेतु 2 लाख, मोती झूंगरी जोन हेतु 5 लाख, आमेर जोन हेतु 75000 रु. एवं हवामहल पश्चिम जोन हेतु रु. 75000 अमानत के रूप में नगर निगम कोष में अग्रिम जमा कराने होंगे जो ठेका समाप्ति अवधि तक जमा रहेंगे।
3. पुलिस छतरियों एवं गुमटियों की नीलामी नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी। खुली नीलामी के आधार पर शर्तों के अनुसार राशि जमा होने पर अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा।
4. प्रथम, द्वितीय व तृतीय उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर शेष बोलीदाताओं की अमानता राशि बोली समाप्ति पर लौटा दी जावेगी। सफल बोलीदाता की 1/4 राशि जमा होने पर द्वितीय एवं तृतीय बोलीदाताओं की जमा अमानता राशि लौटा दी जावेगी। सफल बोलीदाता की 1/4 राशि जमा नहीं होने पर अमानता राशि जब्त करली जावेगी।
5. उच्चतम बोलीदाता द्वारा 25 प्रतिशत राशि अगले कार्यदिवस को डी.डी./बैंकर्स चैक के द्वारा जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डी.डी./बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा करानी होगी। लाईसेंस अवधि पारस्परिक सहमति से लाईसेन्स शुल्क पर पूर्ववर्ती वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके अधिकतम दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। जिसके लिए संवेदक को लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व पिछले वर्ष की राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका अवधि समाप्ति के दिन ही निरस्त कर दिया जायेगा।
6. पर्याप्त बोली राशि प्राप्त नहीं होने अथवा अन्य कारणों से नीलामी तिथि को आगे बढ़ाने का अथवा आगामी तिथि में जारी रखने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।
7. अनुज्ञापत्रधारी को शर्तों के अनुबंध पर लाईसेंस जारी होने के 15 दिवस के भीतर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
8. पुलिस छतरियों व गुमटियों पर किसी भी तरह के अश्लील, आपत्तिजनक एवं अवैध विज्ञापन यथा अवैध प्रिंटिंग/लिखावट/बैनर्स लगाना, पोस्टर, पम्पलेट्स, पतंग, आदि को लगते ही तुरन्त हटवाने/पुतवाने का दायित्व संवेदक का होगा अन्यथा नगर निगम जयपुर द्वारा उपरोक्त तरह के अवैध/अश्लील/आपत्तिजनक विज्ञापन हटवाने पर प्रति पुलिस छतरी/गुमटी 500 रु. कैरिंग चार्ज वसूल किया जायेगा जो नोटिस में उल्लेखित अवधि में जमा नहीं कराने पर अमानता राशि से कैरिंग चार्ज की कटौती की जावेगी।
9. ठेका समाप्ति पर पुलिस छतरियां एवं गुमटियां नगर निगम जयपुर की सम्पत्ति होगी उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में ठेका समाप्ति तिथि के अगले दिन जोन कार्यालयों को सम्भालवानी होगी अन्यथा प्रति गुमटी/छतरी रु. 500 विज्ञापन हटवाने/ साफ करवाने का हर्जा खर्चा संबंधित जोन कार्यालय द्वारा वसूल किया जावेगा तथा निगम को विज्ञापन प्रदर्श हटवाने तक जितने दिन तक विज्ञापन प्रदर्श होगा उतने दिन की आनुपातिक राशि ठेकेदार द्वारा जमा करानी होगी। छतरियों एवं गुमटियों के चौरी हो जाने, टूट जोन, नष्ट होने पर छतरी/गुमटी संवेदक द्वारा बनाकर सुपुर्द करनी होगी।
10. नगर निगम द्वारा स्वीकृत पुलिस गुमटियों/छतरियों की संख्या में किसी कारण से कमी होती है तो अनुज्ञापत्रधारी यातायात पुलिस की सहमति से स्वयं के खर्चे पर स्वीकृत संख्या तक पुलिस गुमटी/छतरी स्थापित कर सकेगा।
11. यातायात पुलिस विभाग द्वारा अथवा नगर निगम जयपुर द्वारा अतिरिक्त पुलिस छतरियां/यातायात पुलिस गुमटियां लगवाने का पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञापत्रधारी को निर्धारित ज़ाईंग अनुसार नई पुलिस छतरियां एवं नयी पुलिस गुमटियां बनवाकर स्थापित करनी होगी। जिसकी आनुपातिक राशि नगर निगम कोष में जमा करानी होगी जो कि ठेका राशि की आनुपातिक होगी व नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित की जायेगी।
12. पुलिस छतरियों के संबंध में दो ऊपरी एवं दो निचली साईड पर निगम द्वारा दी गयी ज़ाईंग के अनुसार विज्ञापन करने का अधिकार अनुज्ञापत्रधारी को होगा। शेष भाग यातायात विभाग से अनुमोदित श्लोगन संवेदको को लिखवाने होंगे। अर्थात् अनुज्ञापत्रधारी (सफल बोलीदाता) द्वारा पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर 50 प्रतिशत हिस्से पर विज्ञापन एवं 50 प्रतिशत हिस्से पर ट्रेफिक पुलिस विभाग द्वारा जारी किये श्लोगन के लिए आरक्षित रखना होगा।
13. पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों को स्थापित करने हेतु पानी, बिजली व अन्य सुविधाओं, वस्तुओं की व्यवस्था अनुज्ञापत्रधारी को स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। नगर निगम जयपुर द्वारा इसके लिए कोई खर्चा अनुज्ञापत्रधारी को नहीं दिया जायेगा। पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों में बिजली कनेक्शन लेने एवं बिजली उपभोग के बिल का भुगतान अनुज्ञापत्रधारी को करना होगा।

14. पुलिस छतरी एवं गुमटी की स्थापना के समय किसी तरह की फुटपाथ, रोड, भूमि, टाइल्स आदि के नुकसान के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापत्रधारी जिम्मेदार होगा, नगर निगम जयपुर किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।
15. अनुज्ञापत्रधारी को पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों पर क्रम संख्या एवं जोन का नाम लिखना अनिवार्य होगा एवं उपरोक्तानुसार सूची मुख्यालय एवं जोन में प्रस्तुत करनी होगी।
16. सरकारी योजना के कारण अथवा किसी अन्य कारण से पुलिस गुमटी/छतरी हटा दी गयी हो अथवा मौके पर नहीं हो/अन्यत्र शिफ्ट करनी पड़े तो अनुज्ञापत्रधारी को स्वयं यातायात पुलिस से तालमेल कर नये स्थान पर गुमटी/छतरी स्वयं के खर्चे पर स्थापित कर सकेगा। इसकी सूचना निगम में देनी होगी तथा इस प्रकार संवेदक को होने वाली किसी भी आर्थिक हानि के लिए निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
17. पुलिस छतरी/गुमटी गिरने से किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग/किसी चल व अचल सम्पत्ति का नुकसान होने पर नुकसान की भरपायी का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी स्वयं का होगा, नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यदि कोई पुलिस कार्यवाही करनी हो अथवा कोई न्यायिक कार्यवाही करनी हो तो स्वयं के स्तर पर करनी होगी। यदि अनुज्ञापत्रधारी के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मामला/वाद किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा दायर किया जाता है तो उसके संबंध में कार्यवाही का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का ही होगा, नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
18. अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/नगर निगम जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करने हेतु बाध्य होगा।
19. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
20. नीलामी की अंतिम बोली को नगर निगम जयपुर द्वारा स्वीकृति पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन पत्र प्राप्त होने पर ही सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया जा सकेगा। उसके बाद ही अनुज्ञापत्रधारी द्वारा पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों पर विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेगा।
21. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
22. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंस को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा, तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
23. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
24. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन अनुज्ञापत्रधारी को मान्य होगा तथा अनुज्ञापत्रधारी को पालना करनी होगी।
25. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद होता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
26. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

  
 लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं  
 आयुक्त (राजस्व)  
 नगर निगम जयपुर



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

## यूनिपोल साइज 16' X 8' एवं 30' X 15' पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी :दिसम्बर 2013

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. जोन क्षेत्र में स्थित यूनिपोल साइटों के लिए पृथक-पृथक साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी एवं एक यूनिपोल स्ट्रेक्चर पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जायेगा।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले 16X8 फीट साईज के तथा 30X15 फीट साइज के यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014) तक के लिए की जावेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापन कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक 16X8 फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए रूपये (पांच हजार रूपये) तथा प्रत्येक 30X15 फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए 15,000/- (पन्द्रह हजार) रु. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि बोलीदाता को 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
4. नीलामी के पश्चात् प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डीडी या बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 16X8 फीट के तथा 30X15 फीट साईज के यूनिपोल साइटों का (01 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2015) तक के लिए नवीनीकरण निगम द्वारा किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। दूसरे वर्ष 16X8 फीट के तथा 30X15 फीट साईज के लिए यूनिपोल साइटों का नवीनीकरण (01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/चैक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् यूनिपोल लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। यूनिपोल लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। किसी विभाग के आपत्ति होने के कारण अथवा अन्य अड़चन होने के कारण, फर्म द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति से, अपनी इच्छा से, स्थल का चयन कर यूनिपोल नहीं लगाया जा सकेगा व उस पर विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा। किसी विभाग के आपत्ति होने पर संबंधित विभाग के आपत्ति होने का पत्र संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त कर नगर निगम जयपुर को प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि यूनिपोल लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी। बिना निगम स्वीकृति के अन्यत्र स्थान पर लगा हुआ यूनिपोल अवैध माना जावेगा जिसे निगम द्वारा हटवा दिया जावेगा।
7. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र सूची में अंकित स्थल अनुसार साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
8. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना यूनिपोल नहीं लगायेगा। यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
9. लाईसेंस अवधि समाप्ति तिथि को यूनिपोल सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति द्वारा स्वयं के खर्च पर हटवा लिया जायेगा अन्यथा लाईसेंस अवधि समाप्ति तिथि के तुरन्त बाद निगम द्वारा हटवाने पर 16X8 यूनिपोल के लिये रु. 30,000/- एवं 30X15 के यूनिपोल के लिये रु. 60,000/- हर्जा-खर्चा वसूल किया जायेगा एवं यदि यूनिपोल हटवाने की कार्यवाही में, यूनिपोल की आंशिक या

10. पूर्णक्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यूनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार नगर निगम जयपुर के पारूपकार की देखरेख में ही लगाया जावेगा जिसका प्रमाणीकरण प्रारूपकार द्वारा किया जायेगा। उनकी देखरेख के बिना एवं स्व: विवेक से सम्बन्धित फर्म द्वारा लगाये गये यूनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।
11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से 16'x8' यूनिपोल का निर्माण निगम स्पेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा एवं 30'x15' साईज के यूनिपोल लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।
12. यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर यूनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा। यदि हटाते समय यूनिपोल फिक्सचर की आंशिक या पूर्ण क्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनिपोल को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खंडा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
21. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
25. अगर कोई यूनिपोल जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
26. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
27. सभी यूनिपोल सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
28. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)  
नगर निगम जयपुर



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

## ट्राईऐंग्यूलर साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : दिसम्बर 2013

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. नगर निगम क्षेत्र में स्थित ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स के लिए एकजाई साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एक वर्ष (01 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014) तक के लिए की जावेगी, जिसकी स्वीकृत सूची के अनुसार होगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापन कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक के ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स प्रति साइट के लिए 5,000/- रु. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। जिस फर्म ने नीलामी में कोई साइट नहीं ली है उसको अमानता राशि नीलामी के पश्चात् वापिस कर दी जावेगी।
4. नीलामी के पश्चात् एकजाई साइट्स की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डीडी या बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। आगामी वर्ष ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइटों का (01 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2015) तक के लिए नवीनीकरण निगम द्वारा किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। दूसरे वर्ष हेतु ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइटों का नवीनीकरण (01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/चैक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्ड पर) साइट की साईज त्रिभुजा (तीनो तरफ) 3'X10' फुट होगी जिसमें 3'X6' फुट (तीन तरफ) विज्ञापन, 3'X2' फुट (तीन तरफ) घड़ी व तापमान एवं 3'X2' फुट (तीन तरफ) नगर निगम स्लोगन एवं बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
8. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
9. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं लगायेगा। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
10. लाईसेंस अवधि समाप्ति पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।

11. ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे भिन्न रूप से लगाये गये ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।
12. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स का निर्माण निगम ड्राईंग के अनुसार करना होगा इससे भिन्न डिजाईन बनाने पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार बनाना होगा एवं इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।
13. ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं विजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
14. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा।
15. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आधी, तूफान आदि की स्थिति में ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की रखी होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा रागय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
17. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
18. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अगना कब्जा कर सकेगी।
19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
22. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
23. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
24. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवे सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी।
25. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा।
26. अगर कोई ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
27. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
28. सभी ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
29. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)  
नगर निगम जयपुर



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

## पुलियाओं/ROB फ्लावर पोटो (गमलों) पर विज्ञापन करने की शर्तें नीलामी : दिसम्बर 2013

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों पर बनी हुयी निर्मित पुलियाओ (आर.ओ.बी. एवं फलाईओवर) पर (फ्लावर पोटों) (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित पुलियाओं पर (फ्लावर पोटों) (गमलों) पर विज्ञापन करने का अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापित कार्यक्रम के अनुसार किया जावेगा।
2. पुलियाओं/ROB पर (फ्लावर पोटों) (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014) तक के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी सूची अनुरार एकजाई की जावेगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 25,000/- अक्षरे (पच्चीस हजार रुपये मात्र) पुलियाओं/ROB की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
5. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. निगम सीमा में पुलियाओं/ROB के डिवाइडर पर दो बिजली खम्बों के बीच दो फ्लावर पोटों (गमलों) में पेड़/पौधे (सुन्दर फुलों के) लगाने होंगे जिनमें से एक पोट पर निगम का स्लोगन एवं एक पोट पर फर्म द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्सी को अधिकार होगा। फ्लावर पोटों का साईज 2'X3' का होगा। निर्मित पुलियाओं पर लगे फ्लावर पोटों (गमलों) पर चारों ओर विज्ञापन/स्लोगन किया जायेगा।
7. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्सी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। पुलियाओं/ROB में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
8. पुलियाओं/ROB पर लगने वाले गमले, पेड़/पौधों एवं पुलियाओं की सफाई, रंग-रोगन व चित्रकारी आदि लाईसेंसधारी को कराना होगा एवं उनका संधारण भी लाईसेंसधारी को करना होगा। निगम विज्ञापन में नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित स्लोगन का विशेष ध्यान रखना होगा।
9. फ्लावर पोट (गमलों) एवं पेड़/पौधों का रख-रखाव सही नहीं होने पर एवं विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 शर्तोंनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसिंग ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, पोटों पर लगे विज्ञापन को निगम द्वारा हटवा दिया जायेगा।
10. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेन्सी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेन्सी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देंगे।
11. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों), विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डीडी या बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। आगामी वर्ष पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों), का (01 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2015) तक के लिए नवीनीकरण निगम द्वारा किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए

लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। दूसरे वर्ष हेतु पुलियाओं/ROB पर फलावर पोटों (गमलों), का नवीनीकरण (01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/चैक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।

12. पुलियाओं/ROB पर फलावर पोटों (गमलों), पेड़/पौधों एवं पुलियाओं की सफाई, रंग-रोगन, चित्रकारी एवं प्रदर्शित विज्ञापन/श्लोगन की देखभाल एवं रख-रखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पुलियाओं पर रखे पोटों में पेड़-पौधे सही तरीके से हरे-भरे रखने होंगे एवं समय पर उनमें पानी, खाद्य देने की एवं समस्त रख-रखाव की जिम्मेदारी लाईसेंसधारी की होगी। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी पोट में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसि द्वारा ही स्वयं की हर्जे पर ठीक करवाना होगा। पोट दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसि का होगा।
13. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (पोटो को सही हालत में सम्मलाने पर) होने पर लाईसेंसि को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
14. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
15. अगर कोई फलावर पोटों (गमलों) को जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या बी.आर.टी.एस. रोड़/मेट्रो परियोजना के कारण या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुरार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
18. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगाया गया कर अथवा भविष्य में लगने वाला कर का वहन लाईसेंसधारी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
19. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)  
नगर निगम जयपुर



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)


## कियोस्क (बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड)

नीलामी : दिसम्बर 2013

नगर निगम के सीमा क्षेत्र में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित समस्त बिजली के खम्बों पर दो छोटे बोर्ड (कियोस्क) लगाने के लाइसेन्स की नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार होगी। नीलामी निगम द्वारा विज्ञापित के अनुसार की जावेगी।

1. लाइसेन्स की अवधि :- विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष 01 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक के लिए मान्य होगी। लाइसेंसधारी द्वारा नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाइसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. क्षेत्र:- कियोस्क की नीलामी जवाहर लाल नेहरू मार्ग (रामनिवास बाग के दक्षिणी गेट के बाहर से जवाहर सर्किल के बाहर तक, फोर्टिस अस्पताल की दिशा की ओर) के लिए की जायेगी।
3. सर्किल के चारों ओर एवं बीच में लगे खम्बों पर कियोस्क बोर्ड नहीं लगाए जा सकेंगे।
4. खम्बों पर लगाये जाने वाले कियोस्क बोर्ड अधिकृत व्यक्ति या फर्म द्वारा मजबूती के साथ सुरक्षा ध्यान में रखते हुए इस प्रकार लगाने होंगे कि जिससे आम जनता व अन्य किसी को क्षति ना पहुंचे यदि उसकी लापरवाही से किसी का नुकसान होगा तो उससे हर्जे-खर्चे के लिए लाइसेन्सी स्वयं उत्तरदायित्व होगा नगर निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
5. प्रत्येक कियोस्क बोर्ड की साईज लम्बाई 40 इंच एवं चौड़ाई 30 इंच होगी तथा विलप लगाकर खम्बे के दौनों ओर कियोस्क लगाये जा सकेंगे। कियोस्क खम्बे पर एक दूसरे के आगे पीछे लम्बवत लगाने होंगे।
6. खम्बों पर कियोस्क बोर्ड विधुत चलित कम्प्यूटराईज्ड बोर्ड नहीं लगाया जावेगा।
7. वर्तमान में जहाँ खम्बे सड़क के बीच लगे हुये हैं उन पर ही लाइसेन्सी कियोस्क लगवा सकेगा वहां यदि सड़क के दाये ओर बाये ओर खम्बे लगे भी हैं तो उन पर कियोस्क लगाना वर्जित होगा। किसी भी ट्रांस्फार्मर अथवा अस्थाई पोल पर कियोस्क लगाने की स्वीकृति नहीं होगी कियोस्क पर फिल्मी पोस्टर लगाना वर्जित होगा।
8. खम्बों पर कियोस्क सड़क/डिवाइडर की सतह से न्यूनतम 8 फिट ऊंचा होगा। एक खम्बे पर आगे पीछे कुल दो विज्ञापन कियोस्क बोर्ड लगाए जा सकते हैं। लाइसेन्सी खम्बों व कियोस्क को साफ सुथरा रखेगा। तथा निगम की उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां-2008 के अन्तर्गत विज्ञापन प्रदर्शित करेगा। अश्लील व भडकीले तथा आपत्ति जनक विज्ञापन प्रदर्शित करना पूर्णतया वर्जित होगा निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त प्रकार के विज्ञापन को बिना पूर्व सूचना के हटा दे। उसका हर्जा-खर्चा लाइसेन्सी से वसूल करे। खम्बे पर किसी प्रकार का कोई पोस्टर नहीं चिपकाया जावेगा ना ही कोई झंडे बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंगे प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जावेगे। यदि कोई पोस्टर झंडे बैनर पतंगे आदि लग जाये तो उसे लाइसेन्सी द्वारा तुरन्त हटवाया जाये।
9. कियोस्क लगाते या उतारते समय व लाइसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य कियोस्क को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. लाइसेन्सी जो कियोस्क बोर्ड बिजली के खम्बों पर लगाएगा उसके चोरी हो जाने, गुम हो, जाने व खम्बों की संख्या कम हो जाने इत्यादि की जिम्मेदारी लाइसेन्सी की होगी। नगर निगम का कोई दायित्व नहीं होगा।
11. कियोस्क लाइसेन्सी को स्वयं के खर्चे पर लगाने होंगे तथा लाइसेन्सी की सम्पत्ति होगी एवं कियोस्क खम्बों पर एकरूपता से लगाने होंगे जिससे शहर की सुन्दरता बनी रहे। लाइसेन्स की अवधि खत्म होने पर 3 दिवस में कियोस्क हटाने होंगे अन्यथा हटाने का खर्चा लाइसेन्सी से अमानता में से वसूला जावेगा।
12. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 15,000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये मात्र) के कियोस्क की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाइसेन्स अवाधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
13. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर फर्म को कियोस्क (बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड) पर विज्ञापन करने का लाइसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति लाइसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2015 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाइसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाले राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
14. शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा। राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा जारी आदेश व निर्देश मान्य होंगे, जिसकी पालना लाइसेन्सी को करनी होगी। जयपुर नगर निगम उपविधियां

- 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियों-2008 के प्रावधानों की भी पालना करनी होगी।
15. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1953 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
  16. अगर राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा विज्ञापन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई कर लगाया जाता है तो लाईसेन्सी द्वारा वहन किया जावेगा जोकि शुल्क के साथ ही जमा करना होगा इसके अभाव में लाईसेन्स अमान्य होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
  17. स्थान अथवा जोन सीमा विवाद होने पर लाईसेन्सी ऑथोरिटी का निर्णय अंतिम होगा जो लाईसेन्सी को मान्य होगा।
  18. यदि किसी न्यायालय के निर्देश, सरकार द्वारा प्रतिबंधित रोड एवं यातायात में बाधक होने पर अथवा अन्य अडचन/कारण के कियोस्क हटाना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को स्वयं के खर्चे पर करना होगा। निगम में जमा राशि में से कियोस्क हटाने अथवा हटने से हुए आर्थिक नुकसान के लिए नगर निगम जयपुर द्वारा किसी प्रकार की राशि का रिफण्ड (पुर्नभरण) नहीं किया जायेगा एवं लाईसेंसधारी फर्म को नवीनीकरण शुल्क की पूर्ण राशि जमा करवानी होगी।

  
लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)

नगर निगम जयपुर  
